



2026:AHC:53586

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3571 वर्ष 2026

संगीता देवी थापा @ संगीता देवीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेंद्र प्रसाद

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दिवंगत अनिल कुमार थापा की दूसरी पत्नी हैं, जिनकी नियुक्ति पी.ए.सी. विभाग में रसोइया के पद पर हुई थी, हालांकि, याचिकाकर्ता के पति का निधन हो गया और मृतक का पहली पत्नी के साथ विवाह विच्छेद हो गया था। याचिकाकर्ता का नाम नामांकन कॉलम में दर्ज नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता पेंशन लाभ और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का दावा करती हैं।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रतिवादी, सेनानायक, 9वीं वाहिनी, पी.ए.सी., मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित करते हुए यह रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन **27.03.2026** तक द्वितीय प्रतिवादी, सेनानायक, 9वीं वाहिनी, पी.ए.सी., मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी प्रभावित पक्षों और प्रतिस्पर्धी दावों, यदि कोई हों, को सुनने के बाद कानून के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।
5. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।